वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 02.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 02.02.2025

दो निर्माण सील किए

वाराणसी। वीडीए की टीम ने शनिवार को बिना मानचित्र स्वीकृत कराए दो निर्माण को सील किया। सिकरौल वार्ड में संदीप मिश्र और चेतगंज में राकेश कुमार गुप्ता के भवन में कार्रवाई की गई। वीडीए ने अपील की है कि प्लॉट खरीदते समय यह जरूर जांच लें कि मानचित्र पास है की नहीं। ब्यूरो

वीडीए कर रहा जागरूक

वाराणसी। वीडीए ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और बनारस स्टेशन के दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट नगर के ऑक्शन से संबंधित जानकारी के संबंध में होर्डिंग्स लगाई गई हैं। इसका उद्देश्य ट्रांसपोर्ट नगर के विकास कार्यों के बारे में जागरूक करना है। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 02.02.2025

वीडीए ने चार निर्माण कार्य सील किए

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अनेक स्थानों पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य को रोककर सील कर दिया। इसमें तेलियाबाग स्थित पटेल धर्मशाला के समीप बिना स्वीकृत के किया जा रहा निर्माण कार्य प्रमुख रहा।

संदीप मिश्र तेलियाबाग (निकट सरदार पटेल धर्मशाला) में पूर्व निर्मित बेसमेंट के ऊपर प्रथम व द्वितीय तल का छत डालकर निर्माण कार्य करा रहे थे। निर्माण को सील कर दिया गया। इस मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी मौजूद रहीं। गोइठहां में संतोष सिंह, नगवां में बालाजी एक्सटेंशन पुष्पा सिंह, रामकटोरा में राकेश कुमार गुप्ता के मकान के निर्माण कार्य को सील कर दिया। इन सभी को नोटिस दिया गया था लेकिन वे माने नहीं और निर्माण करते रहे।

न्यायाधीश–दि0 02.02.2025

वाविप्रा ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-3, वार्ड-चेतगंज की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसी क्रम में वार्ड-चेतगंज के अन्तर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए राकेश कुमार गुप्ता द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन संख्या सी0-26/35-1, रामकटोरा में लगभग 600 वर्गफीट में पूर्व निर्मित बी0जी0+2 के ऊपर तीसरे तल पर शटरिंग का कार्य किया जा रहा था जिसे आज दिनांक 01/02/2025 को 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 02.02.2025

वाविप्रा द्वारा मानचित्र/ले-आउट स्वीकृति के संबंध में होर्डिंग्स लगाई गई

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के प्लेटफार्म-1 और प्लेटफार्म-2 पर, साथ ही बनारस स्टेशन के दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट नगर के ऑक्शन से संबंधित जानकारी और मानचित्र/ले-आउट स्वीकृति के संबंध मे होर्डिंग्स लगाई गई है। इन होर्डिंग्स का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी शहरवासियों और संबंधित व्यक्तियो तक आसानी से पहुँच सके। इसके माध्यम से, लोग ट्रांसपोर्ट नगर के विकास कार्यों, ऑक्शन प्रक्रिया के बारे में जागरूक होंगे, साथ ही किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पहले मानचित्र और प्लॉटिंग करने से पूर्व ले-आउट स्वीकृत करना अत्यधिक आवश्यक है, ताकि आगामी विकास कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके। इस कदम से विकास प्रक्रिया मे पारदर्शिता बढ़ेगी, जो कि शहर के बेहतर और व्यवस्थित विकास मे सहायक होगी।

न्यायाधीश–दि0 02.02.2025

वीडीए जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1, वार्ड-सिकरौल की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सिकरौल के अन्तर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए संदीप मिश्र भवन संख्या एस0-14/84-डी0, तेलियाबाग (निकट सरदार पटेल धर्मशाला) में लगभग 40' 44' वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित बेसमेन्ट के ऊपर प्रथम व द्वितीय तल का छत डालकर निर्माण कार्य किया जा रहा था , जिसपर पूर्व में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत कारण बताओ एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस दी गयी थी त उक्त के बावजूद निर्माणकर्ता द्वारा कार्य निरंतर जारी रखा गया जिसके क्रम मे आज दिनांक 01/02/2025 को स्थल को सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी उपस्थित रही। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 02.02.2025

वीडीए ने की अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-2, वार्ड-सारनाथ की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इस क्रम में वार्ड- सारनाथ, मौजा-गोइठहा के अन्तर्गत संतोष सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे आज दिनांक 01/02/2025 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया।इस मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार अवर अभियंता विनोद कुमार उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 02.02.2025

ट्रांसपोर्ट नगर के ऑक्शन से संबंधित होर्डिंग्स रेलवे स्टेशनों पर लगायी गयी

वाराणसी। वीडीए द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के प्लेटफार्म एक और प्लेटफार्म दो पर, साथ ही बनारस स्टेशन के दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट नगर के ऑक्शन से संबंधित जानकारी और मानचित्र/ले-आउट स्वीकृति के संबंध में होर्डिंग्स लगाई गई हैं। इन होर्डिंग्स का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी शहरवासियों और संबंधित व्यक्तियों तक आसानी से पहुंच सके। इसके माध्यम से, लोग ट्रांसपोर्ट नगर के विकास कार्यों, ऑक्शन प्रक्रिया के बारे में जागरूक होंगे, साथ ही किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पहले मानचित्र और प्लॉटिंग करने से पूर्व ले-आउट स्वीकृत करना अत्यधिक आवश्यक है, ताकि आगामी विकास कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके। इस कदम से विकास प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, जो कि शहर के बेहतर और व्यवस्थित विकास में सहायक होगी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 02.02.2025

वीडीए ने सील किये कई अवैध निर्माण

सहारा न्यूज ब्यूरो

वाराणसी।

वीडीए जोन एक वार्ड-सिकरौल की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। सिकरौल वार्ड के अंतर्गत बिना नक्शा पास कराए संदीप मिश्र तेलियाबाग में पूर्व निर्मित बेसमेंट के ऊपर प्रथम व द्वितीय तल का छत डालकर निर्माण कार्य करा रहे थे, जिसपर पूर्व में कारण बताओं एवं निर्माण कार्य बंद करने की नोटिस दी गयी थी। उक्त के बावजूद निर्माणकर्ता द्वारा कार्य निरंतर जारी रखा गया जिसके क्रम में शनिवार को स्थल को सील किया गया।

वहीं दूसरी तरफ जोन तीन वार्ड-चेतगंज की प्रवर्तन टीम ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए राकेश कुमार गुप्ता की तरफ से रामकटोरा में पूर्व निर्मित बी+जी+2 के ऊपर तीसरे तल पर शटरिंग के किये जा रहे कार्य को रोकते हुए अवैध निर्माण को सील किया गया। इसी प्रकार जोन चार वार्ड-नगवां की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। नगवां वार्ड के बालाजी एक्सटेंशन के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए पुष्पा सिंह पत्नी सभाजीत सिंह द्वारा द्वितीय तल पर ढलाई का कार्य पूर्ण कर तृतीय तल पर शटरिंग का कार्य किया जा रहा था जिसे सील किया गया। वीडीए जोन दो वार्ड-सारनाथ की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध मौजा-गोइठहा के अंतर्गत संतोष सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे सील किया गया।